कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

E-mail-dcourtdam-mp@nic.in *Contact no. 07812-222733 Fax-227733*

–:: **निविदा** ::–

क्रमांक– 447 / नजारत / साईकिल स्टेण्ड / 2025–26 दमोह, दिनांक 19 सितम्बर, 2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय परिसर दमोह में **माह अक्टूबर 2025 से माह सितम्बर 2026 तक (एक वर्ष)** की अवधि हेतु वाहन स्टैण्ड नीलामी की निविदा की अंतिम तिथि 25.09.2025 को सायंकाल 05:00 बजे तक रहेगी। कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की अधिकृत वेबसाईट https://damoh.dcourts.gov.in से निर्धारित शर्तो के अधीन संलग्न निविदा फार्म प्राप्त कर **सीलबंद लिफाफे** में रजिस्टर्ड डाक / हमदस्त के माध्यम से कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह म.प्र. पिनकोड 470661 में दिनांक 25.09.2025 के सायंकाल 05:00 बजे तक आमंत्रित की जावेगी :–

1– वाहन स्टैण्ड हेतु निविदा संलग्न निविदा प्रारूप पर पूर्ति कर **सीलबंद लिफाफे** में रजिस्टर्ड डाक / हमदस्त (**पता**–जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह म.प्र. पिनकोड 470661) के माध्यम से प्रेषित करना होगा।

2– वाहनों के स्टैण्ड पर रखने की दरें–
- (ए) साईकिल रूपयें–5 / –प्रतिदिन अथवा रूपये–100 / –प्रतिमाह।
- (बी) मोटर साईकिल / स्कूटर / मोपेड / टू–व्हीलर रूपये–10 / –प्रतिदिन अथवा रूपये–200 / –प्रतिमाह।
- (सी) तीन पहिया वाहन रूपये–15 / –प्रतिदिन अथवा रूपये–300 / – प्रतिमाह।
- (डी) चार पहिया वाहन रूपये–20 / –प्रतिदिन अथवा रूपये–400 / –प्रतिमाह होगी।

3– न्यायिक अधिकारियों / तृतीय–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा अभिभाषक संघ सदस्यों को वाहन रखने हेतु न्यायालय परिसर में स्थान निर्धारित है, उन्हें अपने वाहन निर्धारित स्थान पर रखने की निशुल्क पात्रता होगी।

4– लोककल्याण हेतु ठंडे पानी के मटके / प्याऊ स्टैण्ड के समीप स्थापित करनी होगी।

5– ठेके की नीलामी बोली लगाने वाले व्यक्ति को सुरक्षा निधि **₹5000 / – (रूपय पांच हजार मात्र)** (अर्नेस्ट मनी) अमानत के रूप में डी.डी. के माध्यम से जमा कराना होगी। (डी.डी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह के नाम से होगा।)

6– साईकिल स्टेण्ड ठेके की न्यूनतम बोली राशि **92,400 / –** है, उक्त राशि एक मुस्त जमा करनी होगी, नीलामी कार्यवाही दिनांक 26.09.2025 को न्यायालय परिसर, जिला न्यायालय दमोह में समय सुबह 11:00 से शाम 05:00 बजे तक सम्पन्न की जावेगी।

7– निविदा स्वीकृति उपरांत टेण्डर की शर्तो के अनुसार अनुबंध पत्र **(ठेका कार्य)** निष्पादित न करने की दशा में सुरक्षानिधि की राशि बिना सूचना के जप्त कर ली जाएगी।

8– न्यायालय परिसर के साईकिल स्टैण्ड पर वाहन रखने वाले व्यक्ति को ठेकेदार द्वारा आवश्यक रूप से कूपन (रसीद) प्रदाय किया जावेगा तथा आवश्यक व्यवस्था हेतु ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर व्यस्क उम्र वाले कर्मचारी नियुक्त करना होंगे, नियुक्त किए गए कर्मचारी किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले में लिप्त नहीं होना चाहिए।

9– ठेकेदार द्वारा साईकिल स्टेण्ड पर रेट लिस्ट बोर्ड पर बनवाई जाकर साफ–साफ अक्षरों में दर्शाई जावेगी तथा साफ सफाई का समुचित ध्यान रखना होगा।

10– वाहन सुरक्षा में चूक होने पर ग्राहक को वाहन की कीमत भुगतान की जिम्मेदारी अनुबंध–गृहीता / ठेकेदार की होगी।

11— विभागीय क्रय समिति की सिफारिश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह के अनुमोदन उपरांत सबसे अधिक बोली लगाने वाले को वाहन स्टेंड संचालन की अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन दी जावेगी।

12— नियंत्रणाधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होंगे।

13— प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।

14— वाहन स्टेंड का वार्षिक अनुबंध होने के पश्चात ठेकेदार द्वारा बीच में वाहन स्टेंड के संचालन का कार्य छोड़ने पर वार्षिक जमा राशि में से कोई भी राशि वापिस की जाने योग्य नहीं होगी बल्कि उक्त राशि राजसात की जावेगी।

15— साईकिल स्टेंड पर धूम्रपान पूर्णतः निषेध रहेगा।

संलग्न—निविदा फार्म

कृते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह(म.प्र.)

OPEN TENDER PROFORMA FOR CYCLE STAND

1- Rate Quotation of the Tenderer ....

2- Earnest money Rupees : 5,000/- will be deposit till date ---------------- time 05:00 PM.

3- PAN No. .... Enclose copy of current Income Tax Return.

4- TIN No. .... Enclose copy of live registration.

The terms and conditions of the tender are acceptable to me/us

Signature ....

Name & address with Seal & Date ....

....

....

....

....

Phone (O) ....

Fax ....

(M) ....

E-mail ....